

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 443]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 अगस्त 2018—श्रावण 18, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2018

क्र. 13397-264-इक्कीस-अ (प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 अगस्त 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३० सन् २०१८

मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, २०१८

विषय-सूची

धाराए :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. सम्मान राशि की पात्रता.
४. सम्मान राशि की अपात्रता.
५. सम्मान राशि का नियतन.
६. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की रीति.
७. सम्मान राशि स्वीकृत करने की शक्ति तथा प्रक्रिया.
८. अभ्यावेदन.
९. सम्मान राशि आदेश का निरस्त किया जाना.
१०. नियम बनाने की शक्ति.
११. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
१२. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३० सन् २०१८

मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, २०१८

[दिनांक ८ अगस्त २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ९ अगस्त, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

ऐसे लोकतंत्र सेनानियों को, जिन्हें २५ जून, १९७५ से २१ मार्च, १९७७ की आपातकाल अवधि के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, १९७१ (१९७१ का २६) (निरसित) तथा भारत रक्षा नियम, १९७१ (निरसित) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए जेलों या पुलिस थानों में निरुद्ध किया गया था, सम्मान राशि, सुविधाएं तथा संबंधित विषयों का उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, २०१८ है.
- (२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.
- (३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "समिति" से अभिप्रेत है, धारा ७ के अधीन गठित समिति;
 - (ख) "डीआईआर" से अभिप्रेत है, भारत रक्षा नियम, १९७१ (निरसित);
 - (ग) "आपातकाल अवधि" से अभिप्रेत है, २५ जून, १९७५ से प्रारंभ होकर २१ मार्च, १९७७ तक की अवधि;
 - (घ) "लोकतंत्र सेनानी" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और आपातकाल की अवधि के दौरान राजनैतिक और/या सामाजिक कारणों से मीसा या डीआईआर के अधीन जेल या पुलिस थाने में निरुद्ध रहा हो;
 - (ङ) "सम्मान राशि" से अभिप्रेत है, ऐसी राशि जो लोकतंत्र सेनानी को सम्मान के रूप में प्रदान की जाए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर निर्धारित की जाए;
 - (च) "मीसा" से अभिप्रेत है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, १९७१ (१९७१ का २६) (निरसित).

सम्मान राशि की पात्रता.

३. (१) निम्नलिखित व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवनकाल के लिए सम्मान राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे :-
 - (एक) लोकतंत्र सेनानी;
 - (दो) दिवंगत लोकतंत्र सेनानी का पति या पत्नी;
 - (तीन) जिन प्रकरणों में मध्यप्रदेश के मूल निवासी व्यक्ति की, जो आपातकाल अवधि के दौरान मीसा या डीआईआर के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध थे, मृत्यु हो चुकी है तथा सम्मान राशि स्वीकृत नहीं हुई है, ऐसे प्रकरणों में ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी के आवेदन करने पर, सम्मान राशि देय होगी.
- (२) उपधारा (१) के खण्ड (दो) और (तीन) के प्रकरणों में विनिर्दिष्ट सम्मान राशि के आधे की पात्रता होगी.

४. निम्नलिखित व्यक्ति सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे :— सम्मान राशि की अपात्रता.
- (एक) कोई व्यक्ति जो राजनैतिक या सामाजिक कारणों से भिन्न कारणों से जेल या पुलिस थाने में निरुद्ध किया गया था;
- (दो) कोई व्यक्ति जिसने सम्मान राशि व अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की पात्रता स्थापित करने के लिए मिथ्या जानकारी या प्रमाण-पत्र या गलत ब्यौरे प्रस्तुत किए हों.
५. (१) लोकतंत्र सेनानी को सम्मान के रूप में प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि तथा ऐसी सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए पात्रता हेतु निरुद्ध रहने की अवधि, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर निर्धारित की जाएगी. सम्मान राशि का नियतन.
- (२) लोकतंत्र सेनानी अथवा उसका पति या उसकी पत्नी जिला मजिस्ट्रेट या राज्य शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की तारीख से सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे.
- (३) लोकतंत्र सेनानी के अंतिम संस्कार के समय दिया जाने वाला सम्मान, लोकतंत्र सेनानी तथा उनके पति या पत्नी को चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं ऐसे होंगे, जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाए.
६. लोकतंत्र सेनानी, राजनैतिक या सामाजिक कारणों से जेल या पुलिस थाने में निरुद्ध रहने के प्रमाण-पत्र के साथ, ऐसे प्ररूप में जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन करेगा. जेल की दशा में जेल अधीक्षक तथा पुलिस थाने की दशा में जिला पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न कर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की रीति.
७. (१) जिला स्तर पर सम्मान राशि की स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच, आवेदक की पात्रता अथवा अपात्रता की अनुशंसा करने हेतु ऐसी समिति गठित की जाएगी जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाए. सम्मान राशि स्वीकृत करने की शक्ति तथा प्रक्रिया.
- (२) समिति की अनुशंसा के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मान राशि स्वीकृत या अस्वीकृत किए जाने का आदेश जारी किया जाएगा.
- (३) दिवंगत लोकतंत्र सेनानी के पति या पत्नी को स्वीकृत सम्मान राशि का संदाय उसकी मृत्यु पर स्वतः ही बंद हो जाएगा.
- (४) यदि जेल में निरुद्ध होने या जेल से छूटने का कोई अभिलेख उपलब्ध है और जेल अधीक्षक प्रमाणित करता है कि शेष सुसंगत अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं तो निरुद्ध रहने की न्यूनतम अवधि मानकर सम्मान राशि स्वीकृत की जाएगी.
- (५) दिवंगत लोकतंत्र सेनानी के पति या पत्नी को उनकी सम्मान राशि की स्वीकृति के लिए मात्र सूचना देनी होगी. इन प्रकरणों में विहित प्ररूप में आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है.
८. समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेश से व्यथित कोई संबंधित व्यक्ति आदेश की तारीख से ३० दिन के भीतर राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा. राज्य सरकार, अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से ४५ दिन के भीतर गुणदोष के आधार पर अभ्यावेदन पर विचार करेगी और उसका विनिश्चय करेगी और राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम एवं संबंधित व्यक्ति पर बंधनकारी होगा. अभ्यावेदन.
९. (१) इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत सम्मान राशि का आदेश निम्नलिखित आधारों पर रोका या निरस्त किया जा सकेगा :— सम्मान राशि आदेश का निरस्त किया जाना.
- (क) नैतिक अधमता के किसी अपराध तथा राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों में भाग लेना;

- (ख) किसी अपराध में दण्ड;
- (ग) अधिनियम के अधीन किसी अपात्रता के बावजूद सम्मान राशि प्राप्त करना;
- (घ) मिथ्या जानकारी तथा मिथ्या शपथ-पत्र प्रस्तुत करना.

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित आधार या किसी सुसंगत शिकायत या अभ्यावेदन या स्वप्रेरणा से प्राप्त की गई सूचना के आधार पर समिति, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उस संबंधित व्यक्ति के प्रकरण की, जिसे कि सम्मान राशि स्वीकृत की गई है, जांच कर सकेगी. स्वीकृति आदेश निरस्त करने के अधिकार समिति की अनुशंसा के उपरांत जिला मजिस्ट्रेट को होंगे. इस आदेश से व्यथित संबंधित व्यक्ति अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जो धारा ८ के उपबंधों के अनुसार निराकृत किया जा सकेगा.

(३) यदि कोई व्यक्ति मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर सम्मान राशि या सुविधाएं प्राप्त करता है तो यह उससे भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूलनीय होगा.

नियम बनाने की शक्ति.

१०. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या इनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे :—

- (क) धारा ५ की उपधारा (३) के अधीन अंतिम संस्कार के समय सम्मान, चिकित्सीय एवं अन्य सुविधाएं;
- (ख) धारा ६ के अधीन सम्मान राशि प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप;
- (ग) धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन गठित की जाने वाली समिति का स्वरूप;
- (घ) धारा ८ के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले अभ्यावेदन का प्ररूप;
- (ङ) कोई अन्य विषय, जो कि विहित किया गया हो या किया जाए.

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

११. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जैसे कि कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(२) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

१२. (१) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक २० जून, २००८ में प्रकाशित लोक नायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डीआईआर राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, २००८ एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त नियमों के निरसन के होते हुए भी, उक्त नियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2018

क्र. 13397-264-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2018 (क्रमांक 30 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

**MADHYA PRADESH ACT
NO. 30 OF 2018**

THE MADHYA PRADESH LOKTANTRA SENANI SAMMAN ADHINIYAM, 2018

TABLE OF CONTENTS

Clauses:

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Eligibility of honour money.
4. Ineligibility of honour money.
5. Fixation of honour money.
6. Manner of submitting application.
7. Power and process of sanction of honour money.
8. Representation.
9. Cancellation of order of honour money.
10. Powers to make rules.
11. Powers to remove difficulties.
12. Repeal and saving.

**MADHYA PRADESH ACT
NO. 30 OF 2018**

THE MADHYA PRADESH LOKTANTRA SENANI SAMMAN ADHINIYAM, 2018

[Received the assent of the Governor on the 9th August, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 9th August 2018.]

An Act for making provisions of honour money, facilities and related issued for the fighters of democracy, who were detained in jails or police stations for specified prohibited activities under the provisions of the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (No. 26 of 1971) (repealed) and Defence of India Rules, 1971 (repealed) during the emergency period from 25th June, 1975 to 21st March, 1977.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:—

**Short title,
extent and
commencement**

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Loktantra Senani Samman Adhiniyam, 2018.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Committee" means Committee constituted under section 7;
- (b) "D.I.R" means the Defence of India Rules, 1971 (repealed);
- (c) "emergency period" means the period commencing from 25th June, 1975 to 21st March, 1977;
- (d) "fighters of democracy" means person who is domicile of Madhya Pradesh and detained in jails or police stations under MISA or D.I.R. for political and/or social reasons during emergency period;
- (e) "honour money" means such money awarded as honour to the fighters of democracy which shall be determined by the State Government from time to time;
- (f) "MISA" means the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (No. 26 of 1971) (repealed).

**Eligibility of
honour money.**

3. (1) Following shall be eligible to get honour money for their lifetime:—

- (i) fighters of democracy;
- (ii) spouses of deceased fighters of democracy;
- (iii) in case where a person is domicile of Madhya Pradesh detained for political or social reasons under MISA or D.I.R during emergency period is dead and honour money has not been sanctioned, in such cases honour money shall be payable to the spouse of such person, on submitting application .

(2) In case of clause (ii) and (iii) of sub-section (1), the eligibility shall be half of the specified honour money.

4. Following shall be ineligible to get honour money:—

Ineligibility of honour money.

- (i) a person who had been detained in jail or police station for reasons other than the political or social reasons;
- (ii) a person who has produced false information or certificate or wrong details in respect of establishing his or other right to receive honour money and facilities.

5.(1) The honour money awarded as honour to the fighter of democracy and eligible period of detention for receiving such honour money shall be determined by the State Government from time to time.

Fixation of honour money.

(2) Fighter of democracy or his/her spouse shall be eligible to get honour money from the date of sanction order issued by the District Magistrate or State Government.

(3) The honour to be given at the time of funeral of fighters of democracy, medical and other facility to fighters of democracy and their spouse shall be such as may be prescribed.

6. Fighters of democracy shall apply in such form as may be prescribed along with certificate of detention in the jail or police station for political or social reasons. In case of jail a certificate of Superintendent of Jail and in case of police station a certificate of Superintendent of Police shall be compulsorily attached and presented to the concerned District Magistrate.

Manner of submitting application.

7.(1) To scrutinize applications received for sanction of honour money at district level, and to recommend about eligibility or non-eligibility of applicant such committee shall be constituted as may be prescribed by rules.

Power and process of sanction of honour money.

(2) The sanction or rejection order of honour money shall be issued by the District Magistrate on the basis of Committee's recommendation.

(3) Payment of honour money sanctioned to spouse of deceased fighter of democracy may be automatically stop on his/her death.

(4) If any record of confinement in jail or release from jail is available and jail certifies that the remaining relevant record is not available in jail, then the minimum period of detention shall be deemed and honour money shall be sanctioned.

(5) Spouses of deceased fighters of democracy shall provide information only to sanction their honour money, in these cases application in prescribed format are not required.

8. Any concerned person aggrieved by the order issued by the District Magistrate on the basis of recommendations of the Committee, may submit his representation to the State Government within 30 days from the date of order in such form as may be prescribed. The State Government shall consider and decide the representation on merit basis within 45 days from the date of receipt of representation and decisions of the State Government shall be final and binding on concerned person.

Representation.

9. (1) The order of sanction of honour money under this Act may be withheld or cancelled on the following grounds:—

Cancellation of order of honour money.

- (a) participation in any crime of moral turpitude and in anti-national activity;
- (b) punishment in any offence;
- (c) receiving the honour money despite any ineligibility under the Act;
- (d) submission of false information and false affidavit.

(2) On the basis of grounds mentioned in sub-section (1) or any relevant complaint or representation or suo motu information received, the Committee after giving reasonable opportunity of hearing may enquire the case of concerned person whose honour money has been sanctioned. After recommendation of the Committee, the right to cancel order of sanction shall vest with the District Magistrate. The concerned person aggrieved by this order may submit his representation that may be disposed as per provisions of Section 8.

(3) If any person who received honour money or facilities on the basis of false documents shall be recoverable as arrears of land revenue.

Powers to make rules.

10.(1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) honour at the time of funeral, medical and other facilities under sub-section (3) of Section 5;
- (b) form of application to be submitted for grant of honour money under section 6;
- (c) the structure of committee to be constituted under sub-section (1) of Section 7;
- (d) form of representation to be submitted under section 8;
- (e) any other matter which has to be or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid before the Legislative Assembly.

Powers to remove difficulties.

11. (1) If any difficulty arises in implementing the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this Section shall, as soon as after it is made, be laid before the Legislative Assembly.

Repeal and saving.

12. (1) The Lok Nayak Jaiprakash Narayan (MISA/D.I.R. Rajnaitik Ya Samajik Karano Se Nirudha Vyakti) Samman Nidhi Niyam, 2008 published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) dated 20th June, 2008 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said rules, anything done or action taken under the said rules, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.